बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं0–मं0 मं0–01/आर0 –02/2007 (अंश–1)........................दिनांक........................

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद–166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–602 दिनांक–20.03.2007 द्वारा संशोधित बिहार कार्यपालिका नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं –

संशोधन

1. कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 के अधीन बनी चतुर्थ अनुसूची 'ग' में निम्नवत संशोधन किया जाता है –

    चतुर्थ अनुसूची "ग" की कंडिका–7 एवं 8 के प्रावधान विलोपित किये जाते हैं। तद्नुसार चतुर्थ अनुसूची "ग" के क्रमांक –9, 10, 11, 12 के स्थान पर क्रमशः क्रमांक– 7, 8, 9, 10 पढ़ा जाय। साथ ही चतुर्थ अनुसूची "ग" के अन्त में एक टिप्पणी निम्नवत जोड़ी जाती है –

    "टिप्पणी – भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी प्रत्यायोजित शक्ति एवं प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।"

यह अधिसूचना तुरत प्रभावी समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं0 मं0–01/आर0 –02/2007 (अंश–1)....71....दिनांक 07-01-08

प्रतिलिपि – सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/1/08

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव